1. मथुरस
2. एटा
3. फिरोजाबाद
4. आगरा
5. अलीगढ़
6. चित्रकूट
7 महोबा
8. बरेली
9. अमरोहा
10. सम्भल
11. मुरादाबाद
12. मेरठ
13. हापुड़
14.गाजियाबाद
15. शामली
16. सहारनपुर
17. चंदौली
18. वाराणसी
19. सोनभद्र
20. भदोही
21. मिर्जापुर
21. लखनऊ
22.कानपुर देहात
23. फर्रूखाबाद
24. औरैया
25.कानपुर
26. कौशाम्बी
27. इलाहाबाद
28.अम्बेडकरन0
29. अमेठी
30. फैजाबाद
31. बलरामपुर
32. श्रावस्ती
33. गोण्डा
34. महराजगंज
35. कुशीनगर
36. गोरखपुर
37.संतकबीरनगर
38.सिद्वार्थनगर
39. बस्ती
40. आजमगढ़
41. झांसी
42. बंदायू
43.लखीमपुरखीरी

संख्याः 1813 /– 33–3–2016–10 जी0आई0/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
पार्श्व अंकित जनपद, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2016

विषय– राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना अन्तर्गत जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी0पी0आर0सी0) की स्थापना हेतु स्थल चयन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2016–17 में भारत सरकार द्वारा पंचायतों के क्षमता संवर्द्वन एवं प्रशिक्षण को केन्द्रीय एवं महत्वपूर्ण घटक मानते हुए 43 जिला पंचायत सिसोर्स सेंटरों(डी0पी0आर0सी0) की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है।

जैसा कि आप अवगत है कि मंडल एवं जनपद स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रसार गतिविधियों हेतु 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों एवं 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थानों का संचालन किया जा रहा हैं।

इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि–

1. क्षमता संवर्द्वन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के दृष्टिगत पार्श्व अंकित जनपदों जहॉ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थानों का संचालन नही किया जा रहा है, में पंचायती राज विभाग के अधीन 18 मंडल स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेंटर एवं 25 जिला स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेंटर, इस प्रकार से कुल 43 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटरों की स्थापना की जानी है।

2. रिसॉर्स सेंटरों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता राज्य को प्रदान की जाएगी, जिसकी प्राप्ति होने पर जनपदों को पृथक से सूचित किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

3. शासन द्वारा जनपदों में उक्त प्रकार से रिसोर्स सेंटरों की स्थापना हेतु स्थल चयन एवं सरकारी भूमि की उपलब्धता के चिन्हीकरण का कार्य आप द्वारा किया जाना है।

4. स्थल चयन हेतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि चयनित भूमि विवाद रहित हो, आबादी से अधिक दूरी पर ना हो, सड़क/मुख्य मार्ग से जुड़ी हो तथा यह भी देख लिया जाए कि भविष्य में रिसोर्स सेंटर के एक्सटेंशन के दृष्टिगत भी पर्याप्त भूमि (न्यूनतम 2500 वर्गमी0) प्रागंण में उपलब्ध रहें।

अतः उक्तानुसार अपने जनपदों में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटरों(डी0पी0आर0सी0) के स्थल चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना निदेशालय को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 19130/33-3/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु

1. सुश्री शरदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 इस आशय के साथ कि जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक प्रस्ताव शासन को प्रेषित् करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner